



निर्यात निरीक्षण परिषद्

(आई एस ओ 9001:2015 प्रमाणित संस्थान)
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

EXPORT INSPECTION COUNCIL

(An ISO 9001: 2015 Certified Organization)
(Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India)

न.निनिप /प्रशा/जी ए/60960 /2020

दिनांक: 25 .01 .2022

कार्यालय आदेश संख्या 2022/02 2596-2607

विषय: आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत ईआईसी/ईआईए में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी-से संबंधित.

इस कार्यालय आदेश संख्या 2019/15 के आंशिक संशोधन में फाइल संख्या.ईआईसी/प्रशासन/जीए/60107/2019-20/749 दिनांक: 22 मई, 2019 पर जारी, संयुक्त निदेशक (टेक) को आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में तत्काल प्रभाव से ईआईसी/ईआईए से संबंधित मामलों के संबंध में नामित किया है यह निदेशक (आई एन्डक्यू /सी). के अनुमोदन से जारी किया गया है

मनोज गुप्ता

(मनोज कुमार गुप्ता)
उप निदेशक(तकनीकी)

सेवा में
डॉ आनंद गुप्ता
संयुक्त निदेशक (तकनीकी)
निर्यात निरीक्षण परिषद्
नई दिल्ली

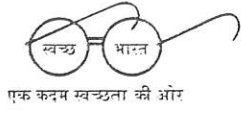
प्रतिलिपि

1. निदेशक के निजी सचिव, ईआईसी, नई दिल्ली
- 2.अपर निदेशक, निर्यात निरीक्षण परिषद्, नई दिल्ली
- 3.श्री.वसी असगर, सहायक निदेशक (तकनीकी) और सीपीआईओ, ईआईसी, नई दिल्ली
4. संयुक्त निदेशक (तकनीक), ईआईए-दिल्ली/मुंबई/चेन्नई/कोट्टिच/और कोलकाता
- 5.राजभाषा अनुभाग -हिंदी में अनुवाद के लिए
6. कंप्यूटर अनुभाग को ईआईसी की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
- 7.कार्यालय आदेश फाइल/आरटीआईप्रकोष्ठ

दूसरी मंजिल, बी-प्लेट, ब्लॉक-1, वाणिज्यिक परिसर, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली 110023-, भारत
2nd Floor, B- Plate, Block-1, Commercial Complex, East KidwaiNagar, New Delhi -110023, India

दूरभाष/Phone: +91-11-20815386/87/88, ई-मेल/E-mail: eic@eicindia.gov.in,

वेबसाइट/Website: www.eicindia.gov.in



निर्यात निरीक्षण परिषद्

(आई एस ओ 9001 : 2015 प्रमाणित संस्थान)

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

EXPORT INSPECTION COUNCIL

(An ISO 9001:2015 Certified Organisation)

(Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India)

No. EIC/ADMN/GA/60960/2020/2596-2607

Dated: 25st January, 2022

OFFICE ORDER No. 2022/02

Subject: First Appellate Authority under the RTI Act 2005 at EIC/EIAs-Reg.

In partial modification of this office order No. 2019/15 issued on File No.EIC/ADMN/GA/60107/2019-20/749 dated: 22nd May, 2019, the Competent Authority has designated Dr. Ananda Gupta, Joint Director(Tech.) as a First Appellate Authority under Section 19 (1) of RTI Act 2005 with immediate effect in respect of matters related to EIC/EIAs.

This issues with the approval of the Director (I & Q/C), EIC.

(Manoj Kumar Gupta)
Deputy Director(Tech)

To,

Dr. Ananda Gupta
Joint Director (Tech.)
Export Inspection Council
New Delhi

Copy to:-

1. PS to Director, Export Inspection Council, New Delhi
2. The Additional Director, Export Inspection Council, New Delhi
3. Sh. Wasi Asghar, Assistant Director(Tech.) & CPIO, EIC, New Delhi
4. The Joint Director(Tech.), EIA- Delhi/Mumbai/Chennai/Kochi & Kolkata
5. Rajbhasha Section- for translation in Hindi
6. Computer Section for uploading in EIC's website.
7. Office Order File/RTI Cell.